(61)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1631–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–3–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण क्रमांक 180/निगरानी/2008–09.

श्रीमती नर्बदी बाई पत्नी स्व0श्री भैयालाल किरार
निवासी ग्राम हरदोट तहसील गैरतगंज
जिला रायसेन म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–कालूराम राय आत्मज श्री घासीराम राय
2–गंगाराम आत्मज भैयालाल किरार
निवासीगण ग्राम हरदोट तहसील गैरतगंज
जिला रायसेन म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री विमलेश कुमार जैन, अभिभाषक, आवेदक
श्री अनोज गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/5/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–3–2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा एक अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत लेख किया गया कि अनावेदकगण द्वारा उसकी

भूमि का नामान्तरण कराया गया है इसलिये उक्त नामान्तरण निरस्त किया जाये । आवेदिका द्वारा प्रस्तुत अपील में 4 वर्ष का विलम्ब होने के कारण अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र मय शपथपत्र सहित प्रस्तुत किया गया । धारा–5 के आवेदन पर अनावेदकगण द्वारा जबाव दिया तथा कहा कि जो अपील 4 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की गई है उसके प्रतिदिन के विलम्ब का कारण धारा 5 के आवेदन में नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 7–3–2009 को अंतरिम आदेश पारित विलम्ब क्षमा करते हुये धारा–5 का आवेदन स्वीकार कर अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 22–7–2009 को निरस्त कर दी गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18–3–2016 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:–

(1) विचारण न्यायालय अपंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण स्वीकार किया गया है जो संहिता के प्रावधानों के विपरीत होने निरस्त किये जाने योग्य है । नामान्तरण में विचारण न्यायालय द्वारा रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 एवं संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 के प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा गया है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिक नामान्तरण को देखते हुये ही विलम्ब क्षमा कर प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण हेतु कार्यवाही की जा रही थी, जो स्थिर रखे जाने योग्य है ।

(3) आवेदिका के पति के स्वत्व की 32 एकड़ वादग्रस्त भूमि थी जिसमें से 1/2 हिस्सा भूमि अनावेदक कमांक 2 ने बटवारे में प्राप्त कर ली थी इसके पश्चात् 32 एकड़ भूमि से से शेष 16 एकड़ भूमि में अनावेदक का कोई स्वत्व नहीं बनता है लेकिन आवेदिका

अशिक्षित व गृहस्थ एवं विधवा महिला होने का अनुचित फायदा अनावेदक कमांक 2 द्वारा उठाया जाकर शेष 16 एकड़ भूमि पर कपटपूर्वक अपना नाम शामिल खाते में सम्मिलित करा लिया जिसका कि उसे कोई वैधानिक अधिकार नहीं था क्योंकि अनावेदक कमांक 2 बटवारे में 1/2 हिस्सा भूमि प्राप्त कर परिवार से पृथक हो गया था ।

(4) अपर आयुक्त न्यायालय के द्वारा आवेदक के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाकर आदेश पारित करते हुयें अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया है ।

उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4– अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:–

(1) आवेदक के अधिवक्ता द्वारा गुणदोषों को आक्षेपित करते हुये जो तर्क अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश के संबंध में प्रस्तुत किया गया है वह निरर्थक है क्योंकि निगरानी परिसीमा के बिन्दु विषयक निष्कर्ष की समीक्षा तक सीमित होकर प्रकरण में गुणदोष पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है । गुणदोष पर समीक्षा केवल तभी हो सकती है जब समयावधि के बिन्दु की बाधा पार कर ली हो । आवेदिका एवं अनावेदक कमांक 1 के सहमतिपूर्वक विभाजन आदेश वर्ष 2008 में पारित किया गया है जबकि अपील 2012 में प्रस्तुत की गई है ।

(2) अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध आवेदक के अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई विधिक बिन्दु नहीं उठाया गया जिससे कि यह सिद्ध हो सके कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्ती योग्य है । जबकि विधि का यह सिद्धांत है कि निगरानी केवल विधिक बिन्दु पर ही प्रस्तुत की जायेगी, परन्तु आवेदिका द्वारा अपर आयुक्त न्यायालय पर आरोप लगाकर न्यायालय से सहानुभूति पाकर गलत निर्णय पारित करना चाहती है ।

(3) आवेदक का मूल उद्देश्य अपने महिला होने का फायदा उठाकर न्यायालय से सहानुभूति लेकर अनावेदकगण से पैसा प्राप्त करना है क्योंकि आवेदिका द्वारा पूर्व में प्रकरण कमांक 2/एसडीएम/145/09 में समझौतानामा पेश किया और कही कोई कार्यवाही न करने का समझौता प्रस्तुत कर प्रकरण समाप्त कराया है ।

(4) अपर आयुक्त का आदेश बोलता हुआ आदेश की श्रेणी में आता है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की नस्ती व अभिलेख तथा उभयपक्ष के तर्को को सूक्ष्मता से परीक्षण करते हुये आदेश पारित किया गया है जो स्थिर रखे जाने योग्य है ।

उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से प्रथमदृष्टया स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1 कालूराम ने कोई विक्रय पत्र पेश नहीं किया है । तहसील न्यायालय द्वारा बिना वैध अन्तरण के पंजी पर नामान्तरण कर दिया गया है । अतः अनुविभागीय अधिकारी ने अपील को समय सीमा में ग्राह्य करने में कोई त्रुटि नहीं की है । अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर अपील समय बाह्य मानने में त्रुटि की गई है । इस प्रकरण में यह विधि एवं न्यायिक आवश्यकता है कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उनके समक्ष प्रचलित अपील का गुणदोष पर निराकरण करें।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–3–2016 निरस्त किया जाता है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अपील का गुणदोष पर निराकरण करने हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.